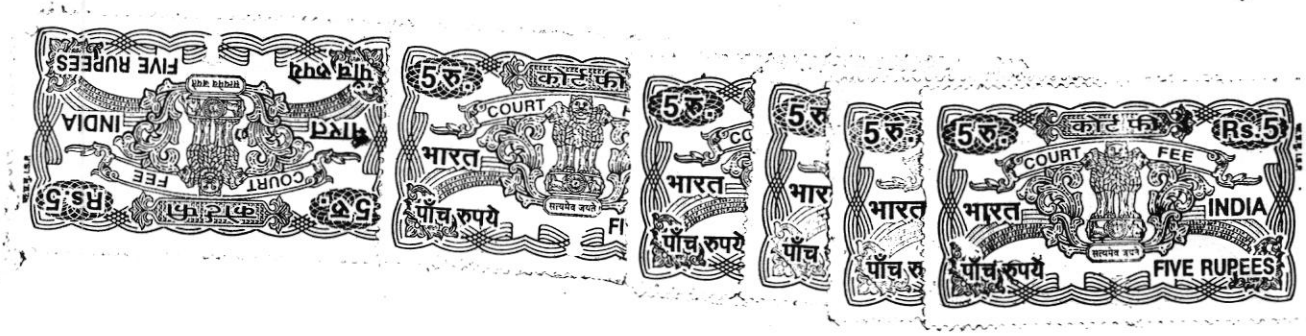

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नि/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2018/1088

प्रकरण क्रमांक /२०१७-१८ पुनरीक्षण (पन्ना)

१) लक्ष्मी यादव,) पुत्रगण श्री विश्वनाथ यादव,
२) राजू यादव,)

निवासीगण ग्राम देवरा मापतपुर तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म0प्र0) ---आवेदकगण

विरुद्ध

१) मन्नीलाल पुत्र गिरा पटेल,
निवासी ग्राम सब्दुआ तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना.

२) जियालाल पुत्र हल्के चमार,
निवासी ग्राम बनहरी तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना

३) महन्दी पुत्रीश्री हल्के चमार,
निवासी ग्राम सबदुआ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना

४) श्रीमती रूपादेवी पत्नि श्री लक्ष्मीप्रसाद तिवारी,
पुलिस लाईन के पीछे, पन्ना नाके के पास, छतरपुर (म0प्र0) -- ---अनावेदकगण

(5) म0प्र0 शासन

श्री ... द्वारा आज दि. 8-2-18 प्रस्तुत। ... दिनांक 23-2-18 ... 8-2-18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 8
पृष्ठ क्र. 1 से 16
दिनांक 8/2/18
हस्ताक्षर व नाम

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म0प्र0भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांकी १६-११-२०१७ पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना प्रकरण क्रमांक ६८/अ-२१/ १५-१६

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक क्रमांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(18)

प्रकरण कमांक – एक/निग0/पन्ना/भू.रा./2018/1088 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–03–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. शर्मा एवं अनावेदक कमांक 5 म0प्र0 शासन ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण की ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि 10 वर्ष उपरांत भूमि का विक्रय किए जाने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल के कुछ न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है यह भी कहा गया कि वे तृतीय केता हैं इस बिंदु पर अपर कलेक्टर ने विचार नहीं किया है । 2/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय पट्टें की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विक्रय के संबंध में है । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह पाया है कि विवादित भूमि शासकीय थी जिसका विक्रय पट्टाधारी द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के आवेदकों को किया गया है । संहिता की धारा 165–7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) 158(3) तथा 165(7) (ख) – धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण – धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है । न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई । 10 वर्ष	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	